



भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR
फोन- 2282530-0771 2285590 / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

File no- CHG/DRG/LST-38 CHG05024

दिनांक -02.02.2022

प्रेषित- Sridhar Balakrishnan,
M/s ACC Limited ,
121, Maharshi Karve Road
Mumbai - 400 020, India ,
Email- b.sridhar@acclimited.com, Vaibhav.dixit@acclimited.com
deepak.kumar@acclimited.com

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी नंदिनि कुंदिनि चुना खदान (53.57 ha). में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 19.01.2022 को श्री Deepak Kumar, Manager (Mines) की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	Following violations are observed against proposals in approved Modifications of Mining Plan for the period from 2018-19 to 2022-23 approved letter no. Durg Chup/Kyo-1114/2017-Raipur dated 17/10/2017: (i) Against proposal to carry out waste dumping in a single location between boundary pillars 34 to 37, waste dumping have been carried out in additional two locations between area north of boundary pillars 68 to 73(between 21 ⁰ 22'56.83" & 81 ⁰ 22'58.77" and 21 ⁰ 22'45.64" & 81 ⁰ 23'8.67") and area south of boundary pillars 29 to 32 (21 ⁰ 23'09.75" & 81 ⁰ 23'8.67" and 21 ⁰ 23'8.40" & 81 ⁰ 23'3.49") (ii) Against proposal of parapet wall and drainage around waste dump, no work has been carried out.
26 (2)	A yearly report as per the format specified by Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitate works carried out has not been submitted for the year 2020-21.
45(5) (c)	Quantity of mineral reserves figure of 111 is furnished incorrectly in submitted Annual Return for the year 2020-2021
46(a)	Notice of appointment of Geologist is not submitted

2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत।

(क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर्याप्तरूप में बर्सिक बिबरनी में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उलंघन में सुधार तक भुगतान देना पड़ेगा।

(ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

- (ग) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

3. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **11(1), 26 (2) एवं 46(a)** का अतिषिघ्न सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

4. अतः आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **45(5)(c)** का अतिषिघ्न सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

देबदुर्लभ दाश)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 -
Email-com.cz@ibm.gov.in

(देबदुर्लभ दाश)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर